न्यायालय म. प्र. राजस्व मण्डल केन्द्र, ग्वालियर (म. प्र.)

नि॰ /3817-III-15 प्र. क्र /पुनरीक्षण/2015

साबिर हुसैन पिता सुभानखॉ चुडीघर,
आयु– वर्ष, व्यवसाय– मजदूरी,
निवासी– ग्राम चीताखेडा, तहसील जीरन .... पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी,
नीमच (म. प्र.) .... विपक्षी

B.L. H192 / 15.12.15

पुनरीक्षण प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.संहिता 1959

पुनरीक्षण प्रार्थनापत्र अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, नीमच के प्रकरण क्रमांक 11/अ–68/2011–12 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19.10.2015 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर नकल के दिन मुजरा करने पर पुनरीक्षण अंदर अवधि प्रस्तुत है।

महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रार्थनापत्र निम्नानुसार पेश है :–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, नीमच के प्रकरण क्रमांक 11/अ–68/2011–12 में पेशी दिनांक 16.10.2015 मौजा पटवारी के प्रतिपरीक्षण हेतु नियत थी एवं दिनांक 16.10.2015 को पुनरीक्षणकर्ता व उसके अभिभाषक को न्यायालयीन समय से पूर्व ही अर्थात समय 3:45 बजे ही पुकार लगवाकर अनुपस्थित कर दिया एवं पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध एकपक्षीय करते हुए, उसका मौजा पटवारी से प्रतिपरीक्षण का अवसर भी समाप्त कर दिया, जब कि दिनांक 16.10.2015 को पुनरीक्षणकर्ता के अभिभाषक न्यायालय में 4:15 बजे उपस्थित हो गये थे, परंतु पीठासीन अधिकारी के अचानक चले जाने से पदस्थ रीडर द्वारा बोला गया कि आप दिनांक 19.10.2015 को पीठासीन अधिकारी को बता देना कि मैं 4:15 बजे न्यायालय में आ गया था एवं मैं स्वयं अर्थात पदस्थ रीडर द्वारा भी बोला गया कि मैं भी पीठासीन अधिकारी बता दूंगा कि आप न्यायालयीन समय 4:15 बजे न्यायालय में उपस्थित हो गये थे।

निरंतर ...2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3817–तीन/2015 जिला नीमच

साबिर हुसैन विरूद्ध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17–12–2015	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ प्रकरण में उपलब्ध आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन किया। आवेदक अभिभाषक ने तर्क किया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पटवारी की रिपोर्ट पर प्रतिपरीक्षण हेतु प्रकरण नियत था परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी। दिनांक 19–10–15 को फिर से आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया। अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाये। 3/ अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं की सत्यापति प्रतियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि पेशी दिनांक 29–9–15 को सूचना उपरांत आवेदक अभिभाषक अनुपस्थित रहे। इसके पश्चात दिनांक 16–10–15 को आवेदक के प्रकरण में उपस्थित नहीं होने से शिकायतकर्ता आवेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त किया। दिनांक 19–10–15 को पुनः आवेदक द्वारा प्रतिपरीक्षण का अवसर दिये जाने संबंधी आवेदन को निरस्त कर प्रकरण तर्क हेतु नियत किया। सूचना उपरांत न्यायालय में अनुपस्थित रहने से आवेदक का	

18 December 2015

मात्र प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त किया है। अभी आवेदक को तर्क का अवसर उपलब्ध है, जहां वह अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रख सकता है। आवेदक की स्वयं की लापरवाही एवं त्रुटि के कारण ही अनुविभागीय अधिकारी ने इस प्रकार की कार्यवाही की है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही में प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। दर्शित परिस्थिति इस निगरानी में ग्राह्यता का कोई आधार प्रकट नहीं होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य